



गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा माहीडेम रोड़, बड़वी, बाँसवाड़ा-327001

dr.phd2018@gmail.com


क्रमांक : एफ ()गोगुजवि/बाँस/2024/494

दिनांक : 29 फरवरी 2024

आदेश

विश्वविद्यालय शोध अनुभाग में सत्र -2018 में विभिन्न संकायों में पंजीकृत शोधार्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं :-

1. विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश नियमानुसार शोध कार्य हेतु अधिकतम अवधि छः वर्ष (तीन वार्षिक अभिवृद्धि सहित) निर्धारित है।
2. शोधार्थी अपना शोध प्रबंध कार्य पूर्ण कर जमा कराये जाने से पूर्व मार्च-2024 तक शोध अनुभाग में प्री-सबमिशन हेतु लिखित रूप में सूचित करे।
3. प्री-सबमिशन हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध प्रार्थना-पत्र प्रारूप को पूर्ण भरकर जमा करावे।
4. मार्च -2024 के पश्चात् प्री-सबमिशन हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
5. शोधार्थी अपना शोध प्रबन्ध कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुरूप ही पूर्ण करे।
6. नियमानुसार प्री-सबमिशन पूर्व प्लेजरिज्म (साहित्यिक चोरी) मूल्यांकन करवाना आवश्यक है। अतः शोधार्थी इस हेतु अपना शोध प्रबन्ध कार्य प्रार्थना-पत्र के साथ पेन-ड्राइव में 01 माह पूर्व जमा करावे।
7. प्लेजरिज्म रिपोर्ट 10 प्रतिशत से अधिक पाये जाने पर शोधार्थी द्वारा अपने कार्य का 15 दिवस में पुनः मूल्यांकन कराया जाएगा।
8. शोधार्थी अपने कार्य को पूर्ण रूप से स्वयं आकलन करने के पश्चात् ही जमा करावे। किसी भी प्रकार से अधूरे अथवा त्रुटियुक्त दस्तावेजों को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
9. ऐसे सभी शोधार्थी जिनके शोध निर्देशक का अन्यत्र स्थानान्तरण/ सेवानिवृत्ति हुई है अथवा शोध विषय (TOPIC) के लिए आवश्यक कॉ-सुपरवाइजर लेना चाहते हैं वे शोध अनुभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप को भरकर 10 मार्च 2024 तक अनुभाग में जमा करावें।


29/2/2024
कुलसचिव (प्रभार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. कुलसचिव, गोगुजवि, बाँसवाड़ा।
2. समस्त शोध निर्देशक, गोगुजवि, बाँसवाड़ा।
3. रक्षित पत्रावली।


निदेशक शोध